**भाषा की विशेषताएँ और प्रकृति**

1. भाषा पैतृक नहीं है: कुछ लोगों का विश्वास है कि भाषा पैतृक सम्पत्ति है। पिता की भाषा पुत्र को पैत्रिक सम्पत्ति की भाँति अनायास ही प्राप्त होती है किन्तु यथार्थतः ऐसी बात नहीं है। यदि किसी भारतीय बच्चे को एक दो वर्ष की अवस्था में फ्रांस में पाला जाय तो वह हिन्दी या हिन्दुस्तानी आदि न समझ या बोल सकेगा और फ्रेंच ही उसकी मातृभाषा या अपनी भाषा होगी। यदि भाषा पैतृक सम्पत्ति होती तो भारतीय लड़का भारत से बाहर कहीं भी रहकर बिना प्रयास के हिन्दी समझ और बोल लेता।

**2. भाषा अर्जित सम्पत्ति है** : अपने चारों ओर के समाज या वातावरणा से मनुष्य भाषा सीखता है। भारत में उत्पन्न शिशु फ्रांस में रहकर इसीलिए फ्रेंच बोलने लगता है कि उसके चारों ओर फ्रेंच का वातावरण रहता है। इसी प्रकार भेड़िए का साथी लड़का एक और वातावरण के अभाव में मनुष्य की कोई भाषा नहीं सीख सका और दूसरी ओर भेड़िये के साथ रहने से वह उसी की ध्वनि का कुछ रूपों में अर्जन कर सका। अतएव यह स्पष्ट है कि भाषा आसपास के लोगों से अर्जित की जाती हैं और इसीलिए यह पैतृक न होकर अर्जित सम्पत्ति है।

**3. भाषा आद्यन्त सामाजिक वस्तु है:** भाषा अर्जित सम्पत्ति हैं। प्रश्न यह है कि व्यक्ति इस सम्पत्ति का अर्जन कहाँ से करता है ? इसका एकमात्र उत्तर है 'समाज से।' इतना ही नहीं, भाषा पूर्णतः आदि से अन्त तक समाज से सम्बन्धित है। उसका विकास समाज में ही होता है और इसीलिए यह एक सामाजिक संस्था है। यों, अकेले में, हम भाषा के सहारे सोचते अवश्य हैं, किन्तु वह भाषा इस सामान्य मुखर भाषा से भिन्न है जिसकी बात की जा रही है।

**4. भाषा परम्परा है,** : व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता: भाषा परम्परा से चली आ रही है, व्यक्ति उसका अर्जन परम्परा और समाज से कस्ता है। एक व्यक्ति उसमें परिवर्तन आदि तो कर सकता है किन्तु उसे उत्पन्न नहीं कर सकता (सांकेतिक या गुप्त आदि भाषाओं की बात यहाँ नहीं की जा रही है)। यदि कोई उसका जनक और जननी है तो समाज और परम्परा।

**5. भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है :** ऊपर की बातों में भाषा के अर्जित एक समाज-सापेक्ष होने की बात हम कह चुके हैं। यहाँ 'अर्जन' की विधि है अर्जित में इतना और कहना है कि भाषा को हम 'अनुकरण' द्वारा सीखते हैं। शिशु के समक्ष माँ 'दूध' कहती है। वह सुनता है और धीरे-धीरे उसे स्वयं कहने का प्रयास करता है। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तू के शब्दों में अनुकरण मनुष्य का सबसे बड गुण है। वह भाषा के सीखने में भी उसी गुण का उपयोग करता है।

**6. भाषा चिरपरिवर्तनशील है :** यथार्थतः भाषा केवल मौखिक भाषा को कहन चाहिए। उसका लिखित रूप तो उसी मौखिक पर आधारित है और उसी के पीछे-पी चलता है। यह मौखिक भाषा स्वयं अनुकरण पर आधारित है, अतः दो आदमियों है भाषा बिल्कुल एक-सी नहीं होती। अनुकरण-प्रिय प्राणी होने पर भी मनुष्य अनुकरण है कला में पूर्ण नहीं है। अनुकरण का 'पूर्ण' या 'ठीक' न होना कई बातों पर आधारि है। ऊपर हम कह चुके हैं कि भाषा के दो आधार हैं: 1. शारीरिक (भौतिक) और 1 मानसिक। परिवर्तन में ये दोनों ही कार्य करते हैं। अनुकरणकर्ता की शारीरिक औ मानसिक परिस्थति सर्वदा ठीक वैसी ही नहीं रहती जैसी कि उसकी रहती है, जिसक अनुकरण किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक अनुकरण में कुछ न कुछ विभिन्नताक आ जाना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि अनुकरण करना। ये साधारण और छोटी-छोटी विभिन्नताएँ ही भाषा में परिवर्तन उपस्थित किय करती है। इसके अतिरिक्त प्रयोग से घिसने और बाहरी प्रभावों से भी परिवर्तन होत है। इस प्रकार भाषा प्रतिपल परिवर्तित होती रहती है।

**7. भाषा का कोई अन्तिम स्वरूप नहीं है** : जो वस्तु बन बनाकर पूर्ण हो जाते है, उसका अन्तिम स्वरूप होता है, पर भाषा के विषय में यह बात नहीं है। वह कर्म पूर्ण नहीं हो सकती। अर्थात्, यह कभी नहीं कहा जा सकता कि अमुक भाषा का अनुर रूप अन्तिम है। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि भाषा से हमारा अर्थ जीवि भाषा से है। मृत भाषा का अन्तिम रूप तो अवश्य ही अन्तिम होता है, पर जीवित भाष में यह बात नहीं है। जैसा कि अन्य सभी के लिए सत्य है, भाषा के विषय में असाव नहीं है कि परिवर्तन और अस्थैर्य ही उसके जीवन का द्योतक है। पूर्णता और स्थिरता मृत्यु है या मृत्यु ही पूर्णता या स्थिरता है।

**8. प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है :** हर भाषा की अपनी भौगोलिक सीमा होती है। सीमा के भीतर ही उस भाषा का अपना वास्तविक क्षेत्र हो है। उस सीमा के बाहर उसका स्वरूप थोड़ा या अधिक परिवर्तित हो जाता है, या पा सीमा के बाहर किसी पूर्णतः भिन्न भाषा की सीमा शुरू हो जाती है।

**१. प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है :** भौगोलिक सीमा की लड भाषा की ऐतिहासिक सीमा भी होती है। अर्थात् प्रत्येक भाषा इतिहास के किसी निरि काल को भोकर इतिहास के निश्चित कि प्रत्येक भाषा अपने काल की परिवर्ती या पूर्ववर्ती भाषा से नितका व्यवहत होती है के लिए रूप से प्राकृत भाषा का काल पहली ईसवी से 500 ई. तक माना जाता है। इस में इसके पूर्व पालि भाषा थी तथा इसके बाद अपभ्रंश और ये दोनों भाषाएँ (पालि तथा अपभ्रंश) प्राकृत से भिन्न है।

**10. प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग होती है:** दूसरे शब्दों में किन्हीं दो भाषाओं का ढाँचा पूर्णतया एक नहीं होता है। उनमें ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य या अर्थ आदि में किसी भी एक स्तर पर या एक से अधिक स्तरों पर संरचना या ढाँचे में अन्तर अवश्य होता है। यही अन्तर उनकी अलग या स्वतन्त्र सत्ता का कारण बनता है।

**11. भाषा की धारा स्वभावतः** कठिनता से सरलता की ओर ले जाती है सभी भाषाओं के इतिहास से भाषा के कठिनता से सरलता की ओर जाने की बात स्पष्ट है। यों तो इसके लिए सीधा तर्क हमारे पास यह है कि मनुष्य का यह जन्मजात स्वभाव है कि कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है। इसी 'कम प्रयास' के प्रयास में वह 'सत्येन्द्र' को 'सतेन्द्र' और फिर 'सतेन' कहने लगता है और एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब वह केवल 'सति' कहकर ही काम चलाना चाहता है। यह उदाहरण 'ध्वनि' से सम्बन्धित है किन्तु व्याकरण के रूपों के बारे में भी यही बात है। पुरानी भाषाओं (ग्रीक, संस्कृत आदि) में रूपों और अपवादों का बाहुल्य है किन्तु आधुनिक भाषाओं में रूप कम हो गये हैं, साथ ही नियम बढ़ गये हैं, अपवाद कम हो गये हैं और आगे भी कम होते जा रहे हैं। भाषा पानी की धारा है जो स्वभावतः ऊँचाई (कठिनाई) के नीचे (सरलता) की ओर जाती है।

**12 . भाषा स्थूलता से स्थूलता सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है :** भाषा की उत्पत्ति पर विचार करते समय कहा जा चुका है कि आरम्भ में भाषा स्थूल थी, सूक्ष्म भावों के लिए या विचारों को गहराई से व्यक्त करने के लिए अपेक्षित सूक्ष्मता उसमें नहीं थी, फिर धीरे-धीरे उसने इसकी प्राप्ति की। इसी प्रकार दिन-पर-दिन भाषा में विकास होता जा रहा है और वह अप्रौढ़ से प्रौढ़ और प्रौढ़ से प्रौढ़तर होती जा रही है। यह एक सामान्य सिद्धान्त तो है किन्तु प्रयोग पर भी निर्भर करता है। आज की हिन्दी की तुलना में कल की हिन्दी अधिक सूक्ष्म और प्रौढ़ होगी किन्तु संस्कृत की तुलना में आज की हिन्दी को सूक्ष्म और प्रौढ़ नहीं कह सकते क्योंकि उन अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त होकर अभी तक हिन्दी विकसित नहीं हुई, जिनमें संस्कृत हजारों वर्ष पूर्व हो चुकी है।

**13. भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है**: पहले लोगों का विचार था कि भाषा वियोग (व्यवहिति या विश्लेष) से संयोग (संहिति या संश्लेष) की ओर जाती है। कुछ लोगों का यह भी मत रहा है कि बारी-बारी से भाषाओं की जिन्दगी दोनों स्थितियों से गुजरती रहती है किन्तु, अब ये मत प्रायः भ्रामक सिद्ध हो चुके हैं। नवीन मत के अनुसार भाषा संयोग से वियोग की ओर जाती है। संयोग का अर्थ है मिली होने की स्थिति, जैसे 'रामः गच्छति' तथा वियोग का अर्थ है अलग हुई स्थिति, जैसे 'राम जाता है।' संस्कृत में केवल 'गच्छति' (संयुक्त रूप) से काम चल जाता था, पर हिन्दी में 'जाता है' (वियुक्त रूप) का प्रयोग करना पड़ता है।

**14. हर भाषा का स्पष्टतः या अस्पष्टतः एक मानक रूप होता है:** पीछे 'भाषा के अभिलक्षण' तथा 'भाषा की परिभाषा' में कुछ अल्प विशेषताओं की ओर भी संकेत किया गया है।